आतंकवाद निर्मूलन के नाम पर एन्काऊंटर

९ सितंबर २००१ को चार हवाई जहाजों में सवार अल कायदा के आतंकवादियों ने सीधे जा कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकन सेना के मुख्यालय पेंटागन पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया. इस हमले में ३५०० लोगों की मौत हो गई. आगे चल कर १ मई २०११ को अफगाणिस्तान के जलालाबाद (?) से उडकर अमेरिकी सेना के ४ हेलीकाप्टरने पाकिस्तान के एबोटाबाद स्थित एक हवेली पर हमला किया. उस हमले में निशस्त्र ओसामा को मार गिराया और उसे समंदर में दफन कर दिया. ओसामा को मार डाला गया ऐसा ओबामा ने घोषित किया. स्वोर्ड फॉर ए स्वोर्ड (तलवार का जबाब तलवार), एन आई फॉर एन आई (आंख के बदले आंख). जब सरकार बदला लेती है, या गुनहगार को कानूनी तरीकेसे सजा न देते हुए कानून का उल्लंघन कर, या उसका दुरूपयोग कर मार गिराती है तो उसे एनकाऊंटर कहते है. इससे वैयक्तिक स्तर पर विवाद का विषय उत्पन्न होता है. एनकाऊंटर का उपयोग करने का सरकार को अधिकार है या नहीं? यदि हो तो ओसामा को मारने का ओबामा का अधिकार प्रस्थापित होता है, नही तो ओबामा खूनी माने जाते हैं और मृत्यूदंड ही उनके लिए असली सजा है.

हाल ही में सुप्रिम कोर्ट नें अपने एक निर्णय में एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट के बारे में जो फैसला दिया उसके अनुसार एनकाऊंटर गैरकानूनी है. जो पुलिस अधिकारी एनकाऊंटर में शामिल होते है, उन पर दफा ३०२ के तहत अपराध दर्ज किया जाना चाहीए. वैसे भी देखा जाए तो किसी को सजा देने का काम पुलिस का नहीं है. वह दायित्व न्यायालय का है. इस दृष्टीकोन से यह फैसला अपेक्षित ही था, किंतु संसार के सभी पुलिस दलों में खुलेआम एनकाऊंटर नामक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है. न्यायालय में जब खुंखार गुनहगारों को सजा नहीं हो सकती तब एनकाऊंटर करना ही एक मात्र उपाय रहता है, ऐसा तर्क दिया जाता है.

सरकार गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से बमविस्फोट और एनकाऊंटर करवाती है. उसी तरह इस्त्रायल के गुप्तचर एजैंसी मोसाद ने आतंकवाद के नाम पर अनेक लोगों को मार डाला. मुंबई में भी अनेक माफिया वालों को मार गिराया गया और भारतीय गुप्तचर संगठनों ने खून व बमविस्फोट किए. न्यायालय में इस तरह की वारदातों को अपराध समझा जाता है. सह्याद्री चैनल पर हुए एक परिसंवाद में हेमंत करकरे, जनरल शेकटकर और मुझे आमंत्रित किया गया था. इस मौके पर विचार रखा गया कि 'एनकाऊंटर करना नैतिक दृष्टीसे योग्य है या नही?

करकरे को यह विचार स्वीकार्य नही था. उन्होने कहा कि, यदि पुलिस महकमे द्वारा ठीक ढंग से जांच पडताल की कारवाई की, तो कितना भी बडा गुनहगार क्यों न हो उसे सजा दी जा सकती है. आगे जा कर करकरे ने अनेक मामलों में ऐसा कर भी दिखाया. उदा. मालेगांव बमविस्फोट में अत्यंत सावधानी से गहन तथा स्पष्ट ढंग से जांच कर वास्तविक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. इसके परिणामस्वरूप उनकी हत्या कर दी गई. करकरे का ही एनकाऊंटर इस राज्य में हुआ तो बाकी को कैसे बचा सकते है. दुसरी तरफ सरकार के आदेश पर एन्काऊंटर करने वाले अनेक पुलिस अधिकारीयों को जेल भेजा गया व नौकरी से निकाला गया. डीसीपी सावंत, दया नायक, मुंबई के पुलिस आयुक्त शर्मा और ऐसे ही अनेक लोगों पर झुठे इल्जाम लगा कर उन्हें निलंबित कर जेलों में सडाया गया. आगे चल कर वे निर्दोष रिहा हुए, लेकिन तब तक उनकी देश के लिए उपयोगिता खत्म हो गई. करकरे का एनकाऊंटर एक मिसाल है. RAW ने (विदेश मे काम करने वाली खुफिया एजैंसी) २२ नवंबर २००८ को आयबी (देश में काम करने वाली खुफिया एजैंसी) को बताया कि, कराची से एक बोट निकली है जो मुंबई पर हमला करने वाली है. लेकिन आयबी ने महाराष्ट्र पुलिस या नौसेना से ये बात छुपायी रखी. क्या आयबी

यानी सरकार का करकरे की हत्या करना २६ नवंबर २००८ के आतंकवादी हमले के पिछे का मकसद था? इस बात की जांच क्यों नही कराते. सभी राजनैतिक दल इसका विरोध करते है. करकरे का एनकाऊंटर करना ये एकही मकसद २००८ का आतंकवादी हमले का था, ये मै दावे से कहता हुं. आज हाई कोर्ट मे तब से ये बात चल रही है. कुल मिला कर आज की व्यवस्था साहसी, होशियार, देशप्रेमी और काबील अधिकारीयों को मार देती है व भ्रष्ट तथा चापलूस, अकुशल अधिकारीयों को पदोन्नति देती है.

सन १९९५ में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हुए दंगो के बाद मैने १०० सांसदो के दस्तखत से जांच की मांग की. उसका शरद पवार ने विरोध किया. लेकिन हमारे दबाव के कारन गृह सचिव एन.एन. वोरा की अध्यक्षता में समिती बनाई गई थी. उसमें सभी गुप्तचर संगठनों व सुरक्षा बलों के प्रमुख शामील थे. इस समिती ने स्पष्ट रूप से कहा है की, इस देश पर भ्रष्ट राजनेता, अधिकारी, माफिया की समानांतर शासन हुकूमत चला रही है. और इसके बारे में सरकार को कुछ भी नही करना है. समिती की रिपोर्ट को लोकसभा ने स्विकार किया, लेकिन उस पर सरकार की कारवाई की रिपोर्ट आजतक जनता या फिर लोकसभा के समक्ष पेश नही कि गई. परिणामस्वरूप अनेक पुलिस अधिकारी स्वयं को माफिया और राजनेताओं से जोडे रखने को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपुर्ण समझते है.

काईम ब्रांच व गुप्तचर शाखा में सबसे अच्छे अधिकारीयों का चयन होता है. कभी कभी उन्हे अंडरकवर या भुमिगत हो कर काम करने की भी जिम्मेदारी सौपी जाती है. इसमें ऐसा भी होता है कि वह अधिकारी माफिया गिरोह में एक अपराधी के रूप में शामिल होता है और अंदर से उस आतंकवादी गिरोह की गुप्त सूचनाएं अपने दल को देते रहता है. मुखबिरों का जाल भी बुन रहा होता है. अथवा यह अधिकारी गुनहगारों से दोस्ती भी करता है. उन्हें पैसा, सुरक्षा व अन्य साधनों की आपुर्ति कर ऐसा करते समय उसे मुजरिमों की मदद भी करनी पडती है. जिनमें खुनी व डकैत भी होते है. ऐसी मुहीमों में पकडे जाने पर उसे मारा भी जा सकता है. इसलिए ऐसी मुहीम को हाथ में लेने वाले जांबाज अधिकारी या सैनिक बहुत जोखिम उठा कर ऐसी जिम्मेदारी को पुरा करते रहे है. ये सभी काम अपने वरिष्ठ अधिकारीयों के विश्वास पर किए जाते रहे है. किंतू आजकल की व्यवस्था ही चोरो जैसे देशद्रोहीयों के हाथों में चली गई है. उदारीकरण के इस दशक में कर्तव्यशील, देशभक्त अधिकारीयों को मार दिया गया. इसीलिए आज कोई भी ऐसा कार्य करने का बीडा उठाने को तैयार नही होता.

आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था में एक बडी सी दरार पड गई है. जिसमें से पुलिस स्टेशन को एक दारू के अडडे के तौर पर चित्रित किया जाता है. हेमंत करकरे, विजय सालसकर, अशोक कामटे जैसे साहसी अधिकारीयों को मार डाला जाता है. किंतू सरकार व विरोधी दल मामुली जांच तक नही करते और माफिया टोली, शासनकर्ता व पूंजीवादी इन साहसी अधिकारीयों की मृत देह पर नंगानाच करते है.

लेखकः ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईटः www.sudhirsawant.com
मोबा. नंः ९९८७७१४९२९